

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0

करण संख्या- 42/2021

मन्मन्त्र पुत्र दीपा जाति भील आयु बालिग पेशा काश्त निवासी बाडौलिया तह0 रावतभाटा।

.....प्रार्थीया

विरुद्ध

1. कामड पिता कंवरा जाति मेघवाल निवासी नागणी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ
2. बाबू पिता नारायण भील जाति भील आयु बालिग निवासी बाडौलिया तह0रावतभाटा।
3. नारू पिता उदा भील जाति भील आयु बालिग निवासी बाडौलिया तहसील रावतभाटा।
4. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री आजाद हुसैन।

दिनांक:- 23/03/2022

### -:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा ग्राम नीम का खेड़ा पटवार हल्का बाडौलिया भू0अ0नि0 भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 61 आराजी न. 76 कुल किता 01 रकबा 0.91 है0 लगानी 13.65 पै0 प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 76 के प्रार्थीगण के खाते की आराजियात की पूर्व में कोई पत्थरगढी नहीं हुई है, मौके पर वास्तविक सीमाओ की जानकारी नहीं है, इसलिए पडौसीगण सीमाओं को लेकर प्रार्थी से वाद-विवाद करते रहते है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 08.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पेशकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम नीम का खेड़ा पटवार हल्का बाडौलिया भू0अ0नि0 भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 61 आराजी न. 76 कुल किता 01 रकबा 0.91 है0 लगानी 13.65 पै0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्वा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय के इलास में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ